भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1447

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय शसस्त्र पुलिस बल कार्मिकों को पदोन्नति

1447. श्री अजय मिश्रा टेनी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन सहित देश में विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी०ए०पी०एफ०) द्वारा की जाती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त बल की भर्ती और सेवा संबंधी शर्तें पुलिस के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होती हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल को प्रदान की जा रही पैंशन, पदोन्नति और सुविधाओं पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ख) : जी, हां। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स, जो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं सहित देश के अनेक क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**बल**	**सीमावर्ती क्षेत्र**
1.	**सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)**	**भारत-बांग्लादेश सीमा भारत-पाकिस्तान सीमा**
2.	**सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)**	**भारत-नेपाल सीमा भारत-भूटान सीमा**
3.	**असम राइफल्स (एआर)**	**भारत-म्यांमार सीमा**
4.	**भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)**	**भारत-चीन सीमा**

..........2/-

(ग) से (ड.) : सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती और सेवा शर्तें उनके संबंधित अधिनियमों एवं नियमों तथा केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित की जा रही हैं। सीएपीएफ को प्रदान की जाने वाली पेंशन, पदोन्नति आदि जैसी सुविधाएं भी संबंधित अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित की जाती हैं।